फर्द अहकाम

कानापुरी बनाम TDR

नाम न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी, फागी

केस संख्या:— 89/2025 विविध

| क्र.स. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 27/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. ① बाद तामिल उपस्थित नही हुआ। जवाब हेतु तहरीर मिजाने जाने पर भी जवाब भी नही मिजवाया गया। इसलिए अप्रार्थी सं. ① के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/10/25 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी |
| | 30/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पूर्व में बहस सुनी गई। आज निर्णय सुनाया जाता है। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दर्ज रं. से खारिज हो दाखिल दफ्तर रहे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी |

प्रति
पेशकार

...महोदय,



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु०नं० :— 89 / 2025
निर्णय दिनांक :— 30.10.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)

1. कानापुरी पुत्र भगवानपुरी जाति गुसाई निवासी शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. माधोपुरी पुत्र नाहरूपुरी जाति गुसाई निवासी शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
3. रामेश्वरपुरी पुत्र भगवानपुरी जाति गुसाई निवासी शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरुस्ती नक्शा ट्रेस
अन्तर्गत धारा 131, 111 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री पुरुषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 30.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता सं0 160 के आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0 मे स्थित है जो प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 302 जो कि खसरा नंबर 309 के लगवा दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ से लगवा उत्तर साइड मे दर्ज है एवं मौके पर भी इसी अनुसार प्रार्थीगण अपने बुर्जूर्गो के समय से ही काबिज काश्त करते आ रहे है एवं जिसकी दिनांक 16.09.2015 को पटवारी महोदय द्वारा भी पी 35 65 / 16.09.2015 को नक्शा ट्रेस जारी किया गया था तथा उसी अनुसार काबिज है। अभी हाल ही में नवीन सैटलमेंट राज्य सरकार की डी एल आर एम पी योजना के तहत की गई जिसमें प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की वास्तविक कब्जे व रिकॉर्ड के विरूद्ध जाकर अप्रार्थी के कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध प्रार्थीगण



उपखण्ड अधिकारी
फागी

की खातेदारी भूमि की गलत तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 310 जो कि रास्त है के लगवा कर दी गई जो कि गलत है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य है। राजस्व हाल नक्शा ट्रेस में जो तरमीम गलत रूप से अंकन की गई है। उससे प्रार्थीगण को उपयोग व उपयोग से वंचित होना पड़ रहा है तथा उक्त जो गलत तरमीम की गई है वह काबिले दुरूस्त है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.05.2025 को राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीग के यहां तरमीम दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी जिस कारण प्रार्थीगण श्रीमान को प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2025 को अप्रार्थी के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने पर तरमीम दुरूस्ती से इंकार हो जाने तथा माननीय न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ जो अंदर मियाद प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न रिकार्ड के अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम शंकरपुरा के खाता सं0 160 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। मुताबिक नक्शा सरहद मौका पचाला के अनुसार ख0नं0 302 जो ख0नं0 301 के नीचे लगवा स्थित था। लेकिन डीआईएलआरएमपी में उक्त ख0नं0 302 को ख0नं0 310 की लाईन व ख0नं0 301 के ऊपर दर्शित कर दिया गया है। जिसके अवलोकन से ही पूर्णतया स्पष्ट है कि पूर्व तरमीम व वर्तमान तरमीम में भिन्नता है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी

कानापुरी वगै0 बनाम तहसीलदार वगै0
मु0नः— 89 / 2025
निर्णय दिनांकः— 30.10.2025

# आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त खाता सं0 160 के आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तरमीम को हजफ फरमाया जाकर साबिक नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है

30/10/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते